

12 वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

सोमवार, दिनांक 29 जून 2015

Notice for 12th Annual General Meeting
Monday, June 29, 2015



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)
(Head Office : 1501, 'Lokmangal', Shivajinagar, Pune - 411 005)

**विषय-सूची
INDEX**

नोटिस	3	Notice	14
टिप्पणियाँ	6	Notes	17
मद क्र. 3 और 4 के लिए स्पष्टीकरण कथन	9	Explanatory Statement Item No. 3 and 4	20
विधिक प्रावधान	10	Legal Provisions	21
नामांकन फॉर्म	25	Nomination Form	26
उम्मीदवार द्वारा घोषणा और वचनपत्र	27	Declaration and Undertaking by the candidate.....	28
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पीडीयू फॉर्म.....	29 - 32	PDU Form prescribed by RBI.....	29 - 32
उपस्थिति पर्ची/प्रवेश पास/मतदान पेपर पास	33	Attendance slip / Entry Pass/Ballot paper pass.....	34
प्रॉक्सी फॉर्म	35	Proxy form	36
एनईसीएस फॉर्म	37	NECS Form	38

**वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 संलग्न है
ANNUAL REPORT 2014-15 ENCLOSED**

**कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तारीखें
IMPORTANT DATES OF PROGRAMME**

कार्यक्रम Event	तारीख Date
वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित रहने तथा निर्वाचन में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण हेतु विनिर्दिष्ट तारीख Specified date for ascertaining shareholders entitled to participate in the process of election of Shareholder Director	29 मई 2015 29th May 2015
नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख Last date for receipt of nomination	13 जून, 2015 को दोपहर 2.00 बजे तक 13th June 2015 by 2.00 p.m
नामांकनों की संवीक्षा Scrutiny of nominations	15 जून, 2015 15th June 2015
ई-वोटिंग अवधि e-voting period	26 जून, 2015 को सुबह 9.00 बजे से 28 जून, 2015 से सायं 5.00 बजे तक From 9.00 a.m 26th June 2015 To 5.00 p.m 28th June 2015
प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने संबंधी प्रॉक्सी फॉर्म और संकल्प प्राप्त करने की अंतिम तारीख Last date for receipt of Proxy forms and resolutions for appointing authorized representatives	24 जून, 2015 को सायं 5.00 बजे तक 24th June 2015 by 5.00 p.m
बही बंदी Book Closure	23 जून, 2015 से 29 जून, 2015 तक 23rd June 2015 to 29th June 2015.
वार्षिक साधारण बैठक की तारीख, समय और स्थान Date Time and venue of Annual General Meeting	सोमवार, 29 जून, 2015 सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005. Monday, 29th June 2015 at 10.30 a.m at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501 Shivajinagar, Pune 411005.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

नोटिस

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की बारहवीं वार्षिक साधारण सभा सोमवार दिनांक 29 जून, 2015 को सुबह 10.30 बजे निम्नलिखित कारोबार करने हेतु अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005 में आयोजित होगी :

सामान्य कारोबार

मद क्रमांक 1

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते और 31 मार्च 2015 के तुलनपत्र, बैंक के लेखों और तुलनपत्र व लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की अवधि के दौरान बैंक की गतिविधियों तथा कार्यनिष्पादन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उसे अनुमोदित व स्वीकार करना.

मद क्रमांक 2

वर्ष 2014-15 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना.

विशेष कारोबार :

मद क्रमांक 3

एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना

निम्नलिखित प्रस्ताव(वों) को यदि उचित समझा गया तो आशोधनों के साथ या आशोधन रहित विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 (विनियम), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमतियाँ, यदि कोई हों, के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्त पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) की अधिसूचनाओं/परिपत्रों और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य लागू कानूनों व अन्य सभी संदर्भित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार यथासंशोधित/अद्यतन दिशानिर्देशों, यदि कोई हों और स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीकरण (लिस्टिंग) करार के अधीन, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे “बोर्ड” कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या इसके बाद गठित की जाने वाली कोई समिति जो अपने अधिकारों तथा इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है, जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार भारत और विदेशों में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणपत्र या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से बैंक की प्राधिकृत पूंजी सीमा के अंदर रु.10/- के अंकित मूल्य के, समग्र रूप से जो रु.800 करोड़ (आठ सौ करोड़ रुपए मात्र) से अधिक न हों, इक्विटी शेयरों का (फर्म आबंटन के लिए और/अथवा निर्गम का कोई भाग प्रतिस्पर्धा आधार पर और यथासमय लागू कानून द्वारा अनुमत्य श्रेणी के व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्रावधान सहित) इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन करेगा, ताकि हर समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% केंद्र सरकार के पास हो, चाहे वे बाजार मूल्य के प्रीमियम पर किसी एक या अधिक ट्रेड, एक या अधिक शेयरधारकों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (“एनआरआई”), कंपनियों- निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थानों, सोसायटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, के लिए में, योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईपी”) जैसे विदेशी संस्थागत निवेशकों (“एफआईआई”), बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थानों या अन्य इकाइयों, प्राधिकारियों या जो वर्तमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की इक्विटी शेयरों / प्रतिभूति में निवेश करने के लिए अधिकृत हों, या बैंक द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी मिश्रण के रूप में हों.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रकार का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम अथवा आबंटन या तो सार्वजनिक निर्गम, अधिकार शेयर, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (QIPs) या तत्संबंधी मिश्रण अनुसार या अधिआबंटन विकल्प के साथ या उसके बिना किया जाए या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2009 (“आईसीडीआर विनियम”) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) व किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे समय, उतनी बार में, ऐसी पद्धति से और ऐसी शर्तों पर किया जाए, जो निदेशक मंडल को उनके पूर्ण विवेकाधिकार से उचित लगता है.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को जहां आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/या हामीदारों (underwriters) और/या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, आईसीडीआर विनियम के अनुसार निर्धारित ऐसी शर्तों और दिशानिर्देशों, अन्य नियमों और किसी भी और सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों के उपबंधों के अनुसार बैंक के निवेशक(को), चाहे वे बैंक के मौजूदा शेयरधारक हों या न हों, हेतु ऐसी कीमत या ऐसी रीति से शेयर की कीमतें तय करने का अधिकार होगा जो आईसीडीआर विनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कीमत से कम नहीं होंगी.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि संबंधित शेयर बाजारों के साथ किए गए सूचीबद्ध करारों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयरों और बैठकों) विनियम, 2004 के प्रावधानों, आईसीडीआर (ICDR) विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर के निवासी द्वारा जारी या हस्तांतरित निर्गम) विनियम, 2000 के प्रावधानों और आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/या भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी), शेयर बाजारों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डी आई पी पी), वाणिज्य मंत्रालय और यथावश्यक अन्य सभी प्राधिकारियों (इसके बाद जिसे “समुचित प्राधिकारी” कहा जाएगा) से अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा/अथवा मंजूरी (इसके बाद जिसे “अपेक्षित अनुमोदन” कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, निदेशक

मंडल, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, एक या अधिक ट्रेच में, एक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट, जैसा कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII में उल्लिखित है, के तहत प्लेसमेंट दस्तावेज़/ लेखन/ परिपत्र/ ज्ञापन और ऐसी पद्धति से और ऐसी कीमत पर, और ऐसी शर्तों पर, जो आईसीडीआर विनियम या यथासमय विद्यमान कानून के अन्य प्रावधानों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गई हो, योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईबी") (आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII में परिभाषित किए अनुसार) के लिए वारंट को छोड़कर, इक्विटी शेयर या किसी प्रतिभूति का इस रूप से सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन कर सकता है, जो एक बाद की तारीख में इक्विटी शेयरों में इस प्रकार परिवर्तनीय हों या उनकी अदला-बदली की जा सकती हो, कि किसी भी समय केंद्र सरकार के पास बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51%से कम हिस्सा न हो.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के मामले में -

क) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार केवल योग्य संस्थागत खरीदारों को किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूरी तरह से प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन को इस प्रस्ताव की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा.

ख) आईसीडीआर विनियमों के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक, विनियमों के अनुसार अधिकृत आधार मूल्य में अधिक से अधिक पांच प्रतिशत की छूट पर शेयर खरीदने की पेशकश कर सकता है.

ग) प्रतिभूतियों के आधार मूल्य निर्धारण की प्रासंगिक दिनांक आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार/भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी प्रदान करते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को निर्गमन और आबंटन, यदि कोई हो, यथालागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन और उक्त अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समग्र अधिकतम सीमा के भीतर होगा.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त जारी होने वाले नए इक्विटी शेयर, यथासंशोधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयरों और बैठकों) विनियम, 2004 के अधीन होंगे और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश, यदि कोई हो, हेतु पात्र होंगे.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि किसी निर्गम या इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा निदेशक मंडल को, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना हो, ऐसे निवेशकों के वर्ग, प्रत्येक ट्रेच में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम के मूल्य, निदेशक मंडल को अपने पूर्ण अधिकार से जो उचित लगे, निर्गम का प्रीमियम तय करने, ऐसे सभी कृत्य, कर्म, मामले और कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में कृत्य, कर्म, कार्य, मामले, आवश्यकतानुसार प्रलेखों तथा लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने या सार्वजनिक निर्गम जारी होने, आबंटन और निर्गम आय के उपयोग के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु आवश्यक, उचित तथा वांछित अनुदेश जारी करने, निदेश देने और अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, बैंक के सर्वोत्तम हित में जैसा उचित समझे, नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए और ऐसे संशोधन, परिवर्तन, भिन्नता, सुधार, विलोपन, अतिरिक्त नियम और शर्तें जोड़ने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना इनको प्रभाव देने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है और इस प्रस्ताव द्वारा बैंक व निदेशक मंडल को प्रदत्त कोई या सभी शक्तियों का निदेशक मंडल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को इसके द्वारा किसी भी बुक-रनर (रनर्स)/ अग्रणी प्रबंधकों/हामीदार(रों)/बैंकर(रों)/निक्षेपक(कों)/रजिस्ट्रार(रों),लेखापरीक्षक(कों) और इक्विटी शेयरों / प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्ताव से सम्बद्ध और शामिल ऐसी सभी एजेंसियों के साथ करार करने और ऐसी सभी व्यवस्थाओं को निष्पादित करने के लिए और ऐसी सभी एजेंसियों व संस्थानों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस के माध्यम से उन्हें पारिश्रमिक देने और ऐसी एजेंसियों के साथ व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापन, दस्तावेजों, आदि को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों हामीदारों (underwriters), अन्य सलाहकारों और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से एतद्वारा निर्गम(निर्गमों) के स्वरूप और शर्तों, निवेशकों के वर्ग सहित जिन्हें शेयर/प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक ट्रेच में आबंटित होने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम, यदि कोई हो सहित), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के उन्मोचन/वारंट/प्रतिभूतियों को जारी करने/परिवर्तन की प्रीमियम राशि, ब्याज की दर, शोधन अवधि, परिवर्तित, उन्मोचित या निरस्तिकरण के आधार पर अन्य प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयरों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों को जारी करने/परिवर्तन का प्रीमियम, ब्याज की दर, अभिलेख दिनांक या लेखा बंदी दिनांक और उससे संबंधित मामले, भारत और/अथवा विदेशों में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने के बारे में निदेशक मंडल को संपूर्ण विवेकाधिकार में, जैसा उचित समझे, निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि अनभिदत्त इक्विटी शेयरों को निदेशक मंडल द्वारा उसके संपूर्ण विवेकाधिकार में, जिस रूप में वह उचित समझे, और जैसा कि कानून द्वारा अनुमत हो, इन शेयरों की बिक्री के बारे में निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा निदेशक मंडल को निर्गम जारी करने/प्रतिभूतियों के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और इसके बाद अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, वह जैसा उचित समझे, आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या प्राधिकृत किए बिना और यह मानते हुए कि प्रस्ताव को प्राधिकृत करते हुए शेयरधारकों ने इसके लिए अपनी अनुमति प्रदान की है, सभी दस्तावेजों व हामियों को यथावश्यक और अपेक्षानुसार निष्पादित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है.


यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्वारा उसे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, या कार्यपालक निदेशक(कों) या बैंक का कोई अन्य अधिकारी या समिति जिसे यह उक्त प्रस्ताव को प्रभाव देने हेतु उचित समझे, यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों के प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है.

मद क्र.4

केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से एक निदेशक का निर्वाचन करना जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3)(ग) (भविष्य में "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (भविष्य में "विनियम अधिनियम" के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (भविष्य में "योजना" के रूप में संदर्भित) और अधिनियम की धारा 19 के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2004 (भविष्य में "विनियम" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित और भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 1 नवंबर 2007 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.क्र. बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 के साथ पठित दिनांक 23 मई 2011 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी. बीसी. क्र.95 /29.39.001 /2010-11 (भविष्य में "भारिबैं अधिसूचना" के रूप में संदर्भित) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशकों के बारे में विचार करना और चुनाव के बाद यदि उचित पाया गया तो भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2015 (भविष्य में 'भारत सरकार के दिशानिर्देश' के रूप में संदर्भित) को निर्धारित मानदंड के साथ पठित दिनांक 03 सितंबर, 2013 की अधिसूचना क्र. फा.सं. 16/83/2013-बीओ.ए के अनुसार निम्नलिखित पर संशोधन/नों के साथ या उसके बिना विचार करना और निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करना;

"प्रस्तावित किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ग) और इसके अंतर्गत बनाए गए संगत योजना, विनियमावली और अधिसूचना तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से निर्वाचित एक निदेशक श्री/श्रीमती.....को एतद्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है वे बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन के दिनांक से निर्वाचित माने जाएंगे व निर्वाचन के दिनांक से तीन वर्षों की अवधि तक के लिए निदेशक का पद संभालेंगे.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार



(एस. मुहनोत)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक : 14 मई 2015

स्थान : पुणे

टिप्पणियां

- व्याख्यात्मक विवरण** : बैठक की मद क्र. 3 और 4 में किए जाने वाले कारोबार संबंधी वास्तविक तथ्यों के व्याख्यात्मक विवरण यहां संलग्न हैं.
- प्रॉक्सी की नियुक्ति** :
शेयरधारक जो बैठक में भाग लेने तथा वोट देने हेतु पात्र है, वह अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु प्रॉक्सी (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी के अलावा) की नियुक्ति कर सकते हैं तथा ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठकें) विनियामावली 2004 के विनियम 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी अधिकार पत्र प्रदाता को उस बैठक में, जिससे यह प्रॉक्सी अधिकार पत्र संबंधित है, स्वयं उपस्थित होने पर भी मतदान का अधिकार नहीं होगा. प्रॉक्सी अधिकार पत्र तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि यह नोटिस के साथ संलग्न फॉर्म 'बी' के अनुसार न दिया गया हो.
प्रॉक्सी प्रभावी होने के लिए, जब तक कि मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार बैंक के पास पहले से जमा व पंजीकृत न किया गया हो, मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके आधार पर यह हस्ताक्षरित हो, या उस मुख्तारनामा की प्रति या मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक द्वारा अधिप्रमाणित प्रति सहित प्रॉक्सी फार्म, वार्षिक साधारण बैठक की दिनांक से न्यूनतम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार 24 जून 2015 को या उससे पहले, बैंक के कार्य समापन समय अर्थात् सायं 5.00 बजे तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005 में प्राप्त हो जाना चाहिए.
- प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति** : बैंक के शेयरधारक किसी कंपनी या किसी निगम निकाय का कोई भी व्यक्ति, प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता, जब तक कि वह उसी बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रस्ताव की वह प्रति प्रस्तुत नहीं करता, जिसमें उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया हो और इस प्रस्ताव की प्रति, ऊपर दिए गए पते पर बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक साधारण बैठक की नियत तिथि से चार दिन पूर्व अर्थात् दिनांक बुधवार 24 जून 2015 को या उससे पहले बैंक के कार्य समापन समय अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा की गई हो.
- मतदान अधिकार** : बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा समकक्ष नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने धारित शेयरों के आधार पर बैंक के शेयरधारकों के कुल 10 प्रतिशत मतदान अधिकार से अधिक मतदान का पात्र नहीं होगा. उपर्युक्तानुसार, विनियामावली के विनियम 68 के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा प्रत्येक शेयरधारक, जो नियत दिनांक अर्थात् शुक्रवार, 29 मई, 2015 (शेयरधारकों के चुनाव हेतु) और अंतिम दिनांक अर्थात् सोमवार 22 जून, 2015 (अन्य कारोबार हेतु) शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, का हाथ उठाकर एक मत होगा और मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक मत होगा.
विनियामावली के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा उससे अधिक व्यक्तियों के नाम हो, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में दर्ज पहले व्यक्ति को उस शेयर का एकल धारक माना जाएगा. इस प्रकार, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम हों तो पहले नाम वाला व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने और नामांकन भरने, चुनाव लड़ने और बैठक में मतदान करने के लिए पात्र है.
- उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र-सह-मतपत्र पास (उपस्थिति पर्ची)** : शेयरधारकों की सुविधा के लिए "उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र-सह-मतपत्र पास" इस नोटिस के साथ संलग्न है. शेयरधारकों के पास विकल्प है कि वे ई-वोटिंग का इस्तेमाल करते हुए मतदान करें. जो शेयरधारक ई-वोटिंग का इस्तेमाल करते हुए मतदान नहीं करते वे वार्षिक साधारण बैठक की दिनांक को बैठक स्थल पर आयोजित चुनाव में अपना मत दे सकते हैं. ऐसे शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची और रिक्त स्थानों में दिए गए विवरण, यदि कोई हों, का सत्यापन करें और उस पर्ची में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर यह पर्ची बैठक के स्थान पर जमा करें. प्रॉक्सी/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि "उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र पास" पर "प्रॉक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जो भी स्थिति हो, उसका उल्लेख करें. चुनाव के समय मतपत्र प्राप्त करने के लिए मतपत्र पास/प्रवेश पास जमा करना होगा.
- बहियों का बंद होना** : बारहवीं वार्षिक साधारण बैठक और वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश, यदि कोई हो, के भुगतान के उद्देश्य से बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर मंगलवार, 23 जून, 2015 से सोमवार 29 जून, 2015 (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगे.
- लाभांश का भुगतान** : बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 14 मई, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण प्रदत्त रु.10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयरों पर प्रति शेयर रु 0.80(0.80 रुपए मात्र) की दर से लाभांश की सिफारिश की. निदेशक मंडल की सिफारिशों के अनुसार और यदि 12वीं वार्षिक सामान्य बैठक में इसका अनुमोदन होता है तो लाभांश का भुगतान निम्नानुसार होगा -
 - सभी लाभार्थी शेयर स्वामियों को दिनांक 22 जून 2015 को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) और राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा यथा उपलब्ध किए गए डाटा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में
 - सभी सदस्यों को दिनांक 29 जून 2015 को बैंक/ बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के पास दर्ज अंतरण अनुरोधों के संबंध में वैध अंतरणों को प्रभाव देने के पश्चात भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में
 - पात्र शेयरधारकों को दिनांक 08 जुलाई 2015 तक लाभांश का भुगतान किया जाएगा.
- लाभांश अधिदेश/ पते में बदलाव**
 - लाभांश के भुगतान के लिए बैंक संबंधित निक्षेपागार से पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) द्वारा डाउनलोड किए गए और राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल)/सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास पंजीकृत बैंक खाते के ब्यौरों का उपयोग करेगा. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित निक्षेपी खाते पर पंजीकृत बैंक के ब्यौरों को अपने संबंधित निक्षेपी सहभागी के पास अद्यतित करवा लें ताकि इसे बहियों को बंद करने से पूर्व अद्यतित किया जा सके. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से बैंक के विवरणों या बैंक के अधिदेश में किसी बदलाव के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किसी भी अनुरोध पर बैंक या इसका पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट कार्रवाई नहीं कर सकते. ऐसे बदलाव केवल शेयरधारकों के निक्षेपी सहभागी को ही सूचित किए जाने हैं.

- ख. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि पते में कोई बदलाव होता है तो समुचित रूप से हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन और एक वैध दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इसकी सूचना तत्काल रूप से बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को दें.
- ग. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक पते में बदलाव की सूचना केवल अपने संबंधित निक्षेपी सहभागी को दें, बैंक या बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को नहीं.
- घ. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक या बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट के साथ किसी भी पत्राचार में अनिवार्य रूप से अपने संबंधित फोलियो क्रमांक/ क्रमांकों (भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक) और अपने संबंधित डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक) का उल्लेख अवश्य करें।

9. **फोलियो का समेकन:** एक से अधिक फोलियो/ खाते के अंतर्गत नामों के समरूप क्रम में भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाणपत्र सहित ऐसे खातों के लेजर फोलियो सूचित करें ताकि वो सभी धारिताओं को एक खाते में समेकित कर सके. आवश्यक पृष्ठांकन करने के पश्चात शेयरधारकों को शेयर प्रमाणपत्र यथासमय वापस कर दिए जाएंगे.
10. **भौतिक शेयरों को डी-मैट स्वरूप में बदलना:** भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक अपने शेयरों को डी-मैट रूप में बदल सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने संबंधित निक्षेपी सहभागी से संपर्क करना होगा जिसके पास उनके डी-मैट खाते हैं.
11. **अंतरणों का प्रस्तुतीकरण:** अंतरण विलेख/विलेखों सहित शेयर प्रमाणपत्र बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को अग्रेषित किए जाने चाहिए. बैंक ने वर्तमान पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को बदलने का निर्णय लिया है और नए पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट हेतु बदलाव की प्रभावी दिनांक की सूचना सार्वजनिक रूप से दी जाएगी. दोनों ही इकाईयों के पते नीचे दिए गए हैं. शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट से पत्र-व्यवहार करते समय इसे नोट करें.

वर्तमान पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट	प्रस्तावित पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट
एमसीएस लिमिटेड	एमसीएस शेयर एंड ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिस क्रमांक 21/22 ग्राउण्ड फ्लोर काशीराम जमनादास बिल्डिंग, 5, पी.डिमेलो रोड (घड़ियाल गोदी), मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400 009	इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिस क्रमांक 002 ग्राउण्ड फ्लोर काशीराम जमनादास बिल्डिंग, 5, पी.डिमेलो रोड, मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400 009
फोन: (022) 2372 6253 -56	फोन: (022) 40206020/ 21/ 22/ 23/ 24
फैक्स : (022) 2372 6252	फैक्स : (022) 40206021
ई-मेल: uday_mcs@yahoo.in	ई-मेल: mcssta.mumbai@gmail.com

12. **स्थिति में बदलाव दर्ज करना:** अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित की सूचना दें -
- क. स्थायी निवास के लिए भारत वापस आने पर निवास पते में बदलाव
- ख. पूरे नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता क्रमांक और पिन सहित बैंक के पते के साथ भारत के बैंक खाते के विवरण, यदि पहले प्रदान न किए गए हों.
13. **अप्रदत्त / अदावी लाभांश, यदि कुछ हो:** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 10(बी) और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (जो दिनांक 16.10.2006 से लागू हुआ) के अनुसार लाभांश की कोई भी रकम जो कि अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित की जाती है और उस अंतरण के दिनांक से 7 वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त/अदावी रहती है तो यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी(1) के अंतर्गत स्थापित "निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि" (आईईपीएफ) को अंतरित की जाएगी और तत्पश्चात बैंक या आईईपीएफ के प्रति इस संबंध में लाभांश के भुगतान हेतु कोई दावा शेष नहीं रहेगा.
- तदनुसार उक्त प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 से अदत्त / अदावी रही लाभांश की ऐसी सभी राशियों को "निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि" (आईईपीएफ) को अंतरित किया गया है. इसके ब्यौरे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर भी प्रदर्शित किए गए हैं. वर्ष 2007-08 के लिए अदत्त/ अदावी शेष रहे लाभांशों का अंतरण आगामी वार्षिक साधारण बैठक के दिनांक से 90 दिनों के भीतर उक्त निधि में कर दिया जाएगा.
- जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों (वर्ष 2007-08 से आगे) के लिए लाभांश वारंटों को भुनाया नहीं है उन्हें सूचित किया जाता है कि उक्त पते पर बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट से या निम्नलिखित पते पर पुणे में बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग से संपर्क करें:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
निवेशक सेवाएं विभाग
'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर
पुणे - 411 005
ई-मेल- investor_services@mahabank.co.in

14. कृपया नोट करें कि जिन शेयरधारकों ने बैंक में अपने ई-मेल आई-डी पंजीकृत नहीं किए हैं उन्हें वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 की हार्ड प्रतियां भारतीय डाक की सेवाओं का उपयोग कर अलग से भेजी गई हैं और जिन शेयरधारकों ने बैंक में अपने ई-मेल आई-डी पंजीकृत किए हैं उन्हें ई-मेल द्वारा उनके ई-मेल आईडी पर सॉफ्ट प्रतियां भेजी गई हैं. वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर भी प्रदर्शित की गई है. वार्षिकसाधारण बैठक में वार्षिक रिपोर्ट वितरित नहीं की जाएगी अतः सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आए.

जिन शेयरधारकों को खातों से संबंधित कोई जानकारी चाहिए उनसे अनुरोध है कि इस संबंध में बैंक से लिखित अनुरोध करें, जो वार्षिक साधारण बैठक के दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व बैंक में पहुंच जाना चाहिए ताकि संबंधित जानकारी तैयार कर रखी जाए। उत्तर केवल वार्षिक साधारण बैठक में ही प्रदान किए जाएंगे।

15. मतदान

क. निर्वाचन हेतु निर्दिष्ट दिनांक

केंद्र सरकार के अलावा, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले एक निदेशक के निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने अर्थात् नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान करने हेतु नोटिस में उल्लेख किए अनुसार शुक्रवार 29 मई 2015 की तारीख निर्धारित की गई है।

ख. वार्षिक साधारण बैठक में मतदान और ई-वोटिंग के लिए नियत दिनांक

यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में कार्यसूची मद क्र.1, 2 और 3 के संबंध में शेयरधारकों का मतदान अधिकार सोमवार, 22 जून 2015 को माना जाएगा।

ग. ई-वोटिंग

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग समझौते के खंड 35बी के अनुसरण में नोटिस में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए आपके बैंक ने सहर्ष ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए बैंक ने ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) को ई-वोटिंग सेवाप्रदाता एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से पूरा करने के लिए बैंक ने मेसर्स आपटे जोशी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज़, पुणे के प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव श्री राघवेंद्र जोशी को संवीक्षक नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। नियत दिनांक (कार्यसूची मद क्र.1, 2 और 3) और निर्दिष्ट दिनांक (कार्यसूची मद क्र. 4) को बैंक के शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक, चाहे उनके शेयर भौतिक रूप में हों या डी-मैट रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकेंगे। कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) संशोधन नियम 2015 के अनुसार दिनांक 26 जून 2015 को सुबह 9.00 बजे से दिनांक 28 जून 2015 को शाम 5.00 बजे तक सभी शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा खुली रहेगी और इसके बाद ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

I. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति निम्नानुसार है -

क. जिन शेयरधारकों का ई-मेल आईडी बैंक/ निक्षेपी सहभागी (सहभागियों) के पास पंजीकृत है उन्हें वार्षिक रिपोर्ट और नोटिस के साथ ईवीईएन (रिमोट ई-वोटिंग इवेंट नंबर), यूजर आईडी और पासवर्ड/ पिन, उनके संबंधित ई-मेल आईडी पर भेजा गया है। पीडीएफ फाइल यथा "रिमोट ई-वोटिंग.पीडीएफ" व ई-मेल खोलने हेतु पासवर्ड के रूप में अपने ग्राहक आईडी या फोलियो क्रमांक का उपयोग करें। इस पीडीएफ फाइल में रिमोट ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड/पिन होगा। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड एक आरंभिक पासवर्ड है।

ख. ऐसे सदस्य जिनका ई-मेल आईडी कंपनी/ निक्षेपी सहभागी(गियों) के पास पंजीकृत नहीं है या जो भौतिक प्रति के लिए अनुरोध करते हैं उन्हें निम्न प्रारूप के अनुसार आरंभिक पासवर्ड इस नोटिस के साथ एक अलग पत्र द्वारा प्रदान किया जा रहा है: EVEN (Remote e-voting Event Number) USER ID

PASSWORD/PIN

ग. ई-वोट डालने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें -

(i) निम्नलिखित यूआरएल टाईप कर इंटरनेट ब्राउजर लांच करें

<https://www.evoting.nsdl.com/>

(ii) शेयरहोल्डर लॉगइन पर क्लिक करें

(iii) उपर्युक्त चरण (i) से नोट किए अनुसार आरंभिक पासवर्ड/ पिन के रूप में यूजर आईडी व पासवर्ड टाईप करें। लॉगइन पर क्लिक करें।

(iv) पासवर्ड चेंज मेन्यू प्रदर्शित होगा। कम से कम 8 अंकों/वर्णों या इनके सम्मिश्र से अपनी पसंद के नए पासवर्ड/ पिन से आरंभिक पासवर्ड को परिवर्तित कर लें। नया पासवर्ड नोट करें। किसी भी स्थिति में अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा ना करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु पूरी सावधानी बरतें।

(v) अब आपको नए पासवर्ड व यूजर आईडी के साथ पुनः लॉग-इन करना होगा।

(vi) रिमोट ई-वोटिंग का मुख पृष्ठ खुलेगा। रिमोट ई-वोटिंग: एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करें।

(vii) "बैंक ऑफ महाराष्ट्र" के "EVEN" पर क्लिक करें।

(viii) कॉस्ट वोट (मतदान करें) पेज खुलने पर अब आप रिमोट ई-मतदान के लिए तैयार हैं।

कार्यसूची मद क्र.1, 2 और 3 के लिए

(ix) मतदान पृष्ठ पर नियत दिनांक (22 जून 2015) को शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी।

(x) कार्यसूची मद क्र.1, 2 और 3 के संबंध में, आप मामले के अनुसार सहमत (एसेंट) या असहमत (डिसेंट) पर क्लिक कर सकते हैं। उचित विकल्प का चयन करके अपना मत दें और "सबमिट" पर क्लिक करें और स्क्रीन पर "कनफर्म" प्रदर्शित होने पर "कनफर्म" पर क्लिक करें।

कार्यसूची मद क्र. 4 के लिए

(xi) कार्यसूची क्र. 4 के संबंध में, निर्दिष्ट दिनांक अर्थात् 29 मई 2015 को शेयर धारण करने वाले व्यक्ति स्क्रीन पर आनेवाले प्रत्याशी उम्मीदवारों के नामों में से केवल किसी एक व्यक्ति के पक्ष में अपना मत डाल सकते हैं। एक से अधिक व्यक्ति को मत देने से आपका मत अवैध हो जाएगा। उचित विकल्प का चयन करके अपना मत डालें और सबमिट पर क्लिक करें तथा स्क्रीन पर "कनफर्म" प्रदर्शित होने पर "कनफर्म" पर क्लिक करें।

(xii) कनफर्म पर क्लिक करने के बाद "वोट कास्ट सक्सेसफुली" (आपका मतदान पूर्ण हुआ) संदेश प्रदर्शित होगा।

(xiii) संकल्प में आपका मत एक बार "कनफर्म" करने पर, आप अपने मत में संशोधन नहीं कर सकेंगे।

- घ. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिकों, अविभक्त हिन्दू परिवार, अनिवासी भारतीयों इत्यादि को छोड़कर) को मतदान करने के लिए प्राधिकृत समुचित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(कर्ताओं) के अधिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षरों सहित संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र इत्यादि की स्कैन्ड प्रति (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) संवीक्षक को ई-मेल के माध्यम से ई-मेल आईडी bomevoting@aptejoshi.com पर भेजना होगा और एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भेजनी होगी.
- ङ. यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) के पास पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप अपना मत डालने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड/ पिन का उपयोग कर सकते हैं.
- च. आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल ब्योरों में अपना नया ई-मेल आईडी और मोबाईल क्रमांक दे सकते हैं, जो भविष्य में संपर्क करने के लिए उपयोग किया जाएगा.
- छ. नियत दिनांक को निक्षेपागारों द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में या सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नाम वाला व्यक्ति ही मतपत्र के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक में मतदान के साथ ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा हेतु पात्र होगा.
- ज. उपर्युक्त 4 में उल्लेख किए अनुसार, नियत दिनांक/ निर्दिष्ट दिनांक, जैसा भी मामला हो, को सदस्यों के द्वारा धारित बैंक के इक्विटी शेयरों के अनुपात में उनके मताधिकार होंगे.
- झ. किसी भी शंका की स्थिति में आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में सदस्यों के लिए उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल और सदस्यों के लिए बार-बार पूछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू) का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री क्रमांक 1800-222-990 पर फोन कर सकते हैं.
- ञ. कोई व्यक्ति जो नोटिस प्रेषित करने के बाद बैंक के शेयर खरीद लेता है और बैंक का शेयरधारक बन जाता है और जो नियत दिनांक अर्थात 22 जून 2015 को शेयर धारित करता है तो वह पंजीकृत व शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (आरटीए)/ बैंक को या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) के पास पंजीकृत हैं तो आप अपना मत देने के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "फॉरगॉट यूजर डीटेल/ पासवर्ड" का उपयोग करके अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं या टोल फ्री क्रमांक 1800-222-990 पर राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) से संपर्क कर सकते हैं.
- ट. ई-वोटिंग के लिए पोर्टल शुक्रवार दिनांक 26 जून 2015 को सुबह 9.00 बजे से रविवार दिनांक 28 जून 2015 को शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा और इसके बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
- ठ. शेयरधारक ई-वोटिंग संबंधी नवीनतम अनुदेशों के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in के निवेशक सेवाएं लिंक को देख सकते हैं.
- ख. वार्षिक साधारण बैठक में मतदान प्रक्रिया**
निर्वाचन सहित कार्यसूची मंदां पर वोटिंग ई-वोटिंग के साथ ही मतदान द्वारा की जाएगी. जिन व्यक्तियों ने ई-वोटिंग का विकल्प नहीं लिया है वे बैठक के दिनांक को वार्षिक साधारण बैठक के स्थल पर आयोजित मतदान में सहभाग लेने और मत देने हेतु पात्र होंगे. मतपत्र बैठक के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में घोषणा किए जाने के तत्काल बाद और 1.00 बजे तक जारी किए जाएंगे। शेयरधारकों/ प्रॉक्सीधारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों को मतपत्र जारी करने हेतु बनाए गए काउंटरों पर पंजीकरण के समय जारी किए गए अथवा नोटिस के साथ डाक द्वारा भेजे गए मतपत्र-पास जमा करने के बाद मतपत्र जारी किए जाएंगे.
- ङ. मतदान के संवीक्षक**
जैसा कि ई-वोटिंग के लिए पहले ही सूचित किया गया है, ई-वोटिंग प्रक्रिया के संबंध में मेसर्स आपटे जोशी एंड एसोसिएट्स, पुणे के प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव श्री राघवेंद्र जोशी संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे. वे बैठक के दौरान होने वाले मतदान में अन्य शेयरधारक के साथ संवीक्षक का भी कार्य करेंगे.
बैंक द्वारा नियुक्त चीफ रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में निर्वाचन हेतु मतदान किया जाएगा और केंद्र सरकार के नामितियों द्वारा बतौर समीक्षक, इसकी निगरानी की जाएगी.
- च. ई-वोटिंग और मतदान का परिणाम**
अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा करने के तत्काल बाद संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ही बैठक में संपादित कार्यसूची मंदां के संबंध में घोषित परिणाम राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट पर और बैंक की वेबसाइट www.bankof-maharashtra.in के माध्यम से जारी किए जाएंगे. ये परिणाम तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रेषित किए जाएंगे.

स्पष्टीकरण कथन

मद क्र. 3 : इक्विटी पूंजी की उगाही

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार बैंक को बेसल III के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों का न्यूनतम 9% सीआरएआर बनाए रखना है और अतिरिक्त शर्त के साथ इस न्यूनतम सामान्य इक्विटी पूंजी (सीईटी) को 5.50% होना चाहिए. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बैंकों को मार्च 2016 से मार्च 2019 तक प्रत्येक वर्ष 0.625% का पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) प्रदान करना चाहिए और पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सामान्य इक्विटी पूंजी (सीईटी) के रूप में होना चाहिए. पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)/ सामान्य इक्विटी पूंजी (सीईटी) की अतिरिक्त अपेक्षाओं के लिए और वार्षिक व्यवसाय वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करने हेतु बैंक ने 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रु.800 करोड़ की पूंजी आवश्यकता का अनुमान लगाया है.

- (ii) बैंक ने आवश्यक पूंजी सहायता के लिए इस आवश्यकता को केंद्र सरकार के समक्ष रखा है. बैंकअप प्रबंध के रूप में बैंक ने अन्य विकल्प जैसे कि एफपीओ/अधिकार निर्गम/क्यूआईबी/प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे अन्य विकल्प इस पूंजी आवश्यकता की पूर्ति हेतु खुले हैं. इन विकल्पों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार और विद्यमान बाजार स्थितियों के अनुसार किया जाएगा.
- (iii) भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अर्जन) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुमोदन एवं सेबी तथा लिस्टिंग करार के संगत दिशानिर्देशों/ विनियमों के अधीन ऊपर उल्लिखित ईक्विटी पूंजी उगाही जाएगी.
- (iv) अतः निदेशक मंडल ने दिनांक 14 मई, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से रु.800.00 करोड़ की ईक्विटी पूंजी की उगाही करने को अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार संकल्प पारित करने की सिफारिश की.
- (v) बैंक में उनकी शेरधारिता की सीमा के अलावा उपर्युक्त संकल्प में बैंक के किसी भी निदेशक की कोई रुचि अथवा सरोकार नहीं है.

मद क्र. 4 : शेरधारकों के एक निदेशक का चुनाव

- (i) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अर्जन) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (i) के अनुसार जहां धारा 3 की उप धारा 2(बी) के खंड (सी) के अधीन निर्गम पूंजी, कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक किंतु बत्तीस प्रतिशत से कम होती है तो निदेशक मंडल में शेरधारकों द्वारा उनके बीच से चयनित दो निदेशक होने चाहिए जोकि केन्द्र सरकार के निदेशक के अतिरिक्त रहेंगे.
- (ii) निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2014 को आयोजित बैठक में प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार भारत सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को ईक्विटी शेरों के अधिमानी आबंटन के उपरांत जनता को जारी पूंजी बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी की 20.20 प्रतिशत रही. उपर्युक्त दिशानिर्देशानुसार बैंक शेरधारकों के बीच से निर्वाचित दो निदेशकों को रखने का हकदार है जोकि केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के अतिरिक्त रहेंगे. इसके विपरीत बैंक के निदेशक मंडल में शेरधारकों का एक निदेशक उपलब्ध है. अतः 11 जुलाई, 2014 से बैंक के निदेशक मंडल में शेरधारकों के निदेशक की एक रिक्ति उत्पन्न हुई है.
- (iii) निदेशक मंडल ने 2 अगस्त, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक के निदेशक मंडल में शेरधारकों के एक निदेशक की रिक्ति को भरने हेतु चुनाव के आयोजन को अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार संकल्प पारित करने की सिफारिश की.
- (iv) अतः विभिन्न संगत अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचना / निदेशों के अंतर्गत उल्लिखित कार्यविधि के अनुसार, शेरधारक (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त), अपने नामांकन भेज सकते हैं. उम्मीदवारी हेतु सभी प्रकार से पूर्णतः भरे हुए नामांकन प्राप्त होने के बाद निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा नामांकन की संवीक्षा पूरी की जाएगी.
- (v) सभी प्राप्त नामांकनों की संवीक्षा करने के बाद यदि केवल एक नामांकन वैध पाया जाता है तो उस उम्मीदवार को तत्काल निर्वाचित समझा जाएगा तथा निर्वाचित होने के संबंध में उसका नाम एवं पता प्रकाशित किया जाएगा. ऐसी स्थिति में अथवा जब कोई भी नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो वार्षिक साधारण बैठक की कार्यसूची की मद क्रमांक 4 पर कोई कार्यवाही नहीं होगी. नवनिर्वाचित निदेशक उनके चुनाव की मानी गई तारीख के अगले दिन से कार्यभार संभाल लेंगे.
- (vi) यदि एक से अधिक वैध नामांकन प्राप्त होते हैं तो उम्मीदवारों के नाम समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे, चुनाव का आयोजन किया जाएगा एवं ई-मतदान तथा बैठक में मतदान में अधिकांश मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा, उसका नाम घोषित किया जाएगा, साथ ही समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा.

विधिक प्रावधान

निम्नलिखित तालिका में इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/विनियमों/योजना/अधिसूचनाओं के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है

अधिनियम/ योजना /विनियम/ / अधिसूचनाएं	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एनई) धारा 16 (1) धारा 20 धारा 51	<ul style="list-style-type: none"> ➤ उल्लेखनीय हित ➤ साधारण निदेशकों पर प्रतिबंध ➤ अपने किसी भी निदेशकों की ओर से अथवा निदेशक को ऋण अथवा अग्रिम प्रदान करने के संबंध में प्रतिबंध ➤ अधिनियम की कुछ धाराएं तदनुरूपी नए बैंक पर लागू होना
बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अर्जन) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए)(ए)से (सी) धारा 9(3एए) एवं धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ मतदान अधिकारों पर प्रतिबंध ➤ शेरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या ➤ कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान ➤ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पूर्व-वृत्त, ईमानदारी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर योग्य एवं उचित प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति न हो. ➤ उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) एवं धारा 9(3एए) की आवश्यकताओं को पूर्ण न करने वाले चुने गए निदेशक को हटाने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार ➤ निष्ठा एवं गोपनीयता संबंधी दायित्व

अधिनियम/ योजना /विनियम/ / अधिसूचनाएं	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) या-जना, 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11बी खंड 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ चयनित निदेशकों का कार्यकाल ➤ बैंक के निदेशक के रूप में चयन होने के संबंध में अयोग्यताएं ➤ निदेशक के कार्यालय से परित्याग ➤ चयनित निदेशक को कार्यालय से हटाए जाने के संबंध में ➤ चयनित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति भरे जाने के संबंध में ➤ निदेशकों द्वारा कुछ व्यवस्थाओं में हित का प्रकटन जिससे वे स्वयं संबद्ध हैं.
बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2004	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	<ul style="list-style-type: none"> ➤ संयुक्त धारकों द्वारा अधिकारों का प्रयोग ➤ साधारण बैठकों में मतदान ➤ साधारण बैठकों में निदेशकों का चयन ➤ शेयरधारकों की सूची ➤ चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन ➤ नामांकनों की संवीक्षा ➤ चुनाव विवाद ➤ मतदान अधिकारों का अभिनिर्धारण ➤ विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान ➤ प्रॉक्सी
भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी संख्या बीसी.सं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 तथा दिनांक 23.05.2011 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी संख्या बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11	बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अर्जन) अधिनियम 1970 की धारा 9(3एए) तथा 9(3एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में चयनित निदेशकों के लिए उपयुक्त एवं उचित मानदंड
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी 03 सितंबर, 2013 के पत्र संदर्भ फा.सं. 16/83/2013-बीओ.1 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक (एनओडी) पर विचार करने संबंधी निश्चित मानदंडों के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिनांक 25 मार्च, 2015 का पत्र		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक (एनओडी) पर विचार करने संबंधी केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित मानदंड
भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 01 जुलाई, 2014 का मास्टर परिपत्र		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियामक अधिनियम, योजना, विनियम के संगत उद्धरण तथा साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी संख्या बीसी.सं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 तथा दिनांक 23.05.2011 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी संख्या बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 तथा भारत सरकार के दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध रहेंगे. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निश्चित की गई अंतिम तारीख यथा 13 जून, 2015 को अथवा उससे पूर्व बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय के कंपनी सचिव को संबोधित अनुरोध प्राप्त होने पर इच्छुक उम्मीदवारों को ऐसे उद्धरण ई-मेल द्वारा उपलब्ध किए जाएंगे.

क. चुनाव में सहभागिता :

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है जिन शेयरधारकों के नाम विशिष्ट दिनांक यथा शुक्रवार दिनांक 29 मई, 2015 को एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा दिए गए शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामी की पंजी में दर्ज हैं वे बैठक में सहभागिता यथा नामांकन करने, चुनाव लड़ने, शेयरधारकों के बीच से निदेशकों के चुनाव हेतु मतदान करने (केन्द्र सरकार को छोड़कर) के लिए हकदार रहेंगे ।

ख. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु आवश्यक योग्यताएं :

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार एक उम्मीदवार जोकि बैंक का शेयरधारक है तथा अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत बैंक का निदेशक चुने जाने का इच्छुक है को

- (क) निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक मामलों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए यथा -
- | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|
| i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था | iv. अर्थशास्त्र | vii. लघु उद्योग |
| ii. बैंकिंग | v. वित्त | viii. कोई अन्य मामला जिसका विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार से बैंक के लिए उपयोगी होगा. |
| iii. सहकारिता | vi. विधि | |

ख. जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो अथवा

ग. किसानों, कामगारों एवं कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो

(क) अधिनियम की धारा 9(3ए) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार बैंक का शेरधारक उम्मीदवार जोकि बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक है को "उपयुक्त एवं उचित" स्थिति वाला होना चाहिए.

(ख) आगे चयनित निदेशक को प्रतिज्ञापत्र निष्पादित करना चाहिए तथा उसे इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणापत्र प्रस्तुत करने चाहिए.

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता

(क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा .

क) यदि वह किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोक रखा हो या;इससे संबद्ध हो, या

ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बात की घोषणा की हो, या

ग) यदि किसी नैतिक भ्रष्टासे जुड़े अपराध में किसी न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो, या

घ) बैंक के कर्मचारियों में से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) व (एफ) के अंतर्गत नामित निदेशक और प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक पद धारण को छोड़कर वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता है.

(ख) यदि उसे बैंक के निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 1 नवंबर 2007 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 के अनुसार उचित और उपयुक्त व्यक्ति नहीं पाया गया।

(ग) यदि वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक (एनओडी) के रूप में लिए जाने संबंधी केन्द्र सरकार के मानदंडों को पूरा नहीं करता है.

ग. शेरधारकों की सूची

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेर एवं बैठकें) विनियम 2004 के विनियम 64 के प्रावधानों के अनुसार शेरधारकों की सूची (इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप यथा सीडी अथवा अन्य कोई माध्यम से) निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 में 02 जून 2015 से 13 जून 2015 (नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख) तक शेरधारकों द्वारा रु.25,000/- (रुपए पचीस हजार केवल) के पूर्व भुगतान पर सीडी पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में तथा इसकी मुद्रित प्रति 'बैंक ऑफ महाराष्ट्र' के पक्ष में पुणे में देय अनुसूचित बैंक के रु.1,00,000 (रुपए एक लाख केवल) के मांग ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के द्वारा उपलब्ध की जायेगी. उक्त सूची को खरीदने वाले इच्छुक उम्मीदवार महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को संबोधित पत्र द्वारा अनुरोध करेंगे तथा यह वचन भी देंगे कि इस सूची का उपयोग चुनाव के प्रचार हेतु किया जाएगा तथा किसी अन्य प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा.

घ. शेरधारकों की पंजी का निरीक्षण

शेरधारकों की पंजी का शेरधारकों द्वारा निरीक्षण करने हेतु यह पंजी बैंक के प्रधान कार्यालय में उप महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 में सभी कार्य दिवसों (रविवार एवं बैंक अवकाश को छोड़कर) को यथा सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक एवं शनिवार को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक उपलब्ध रहेगी ताकि प्रत्याशी शेरधारकों की पंजी के किसी भी भाग का उद्धरण प्राप्त कर सकें.

यदि कोई शेरधारक प्रतिलिपि अथवा चुने हुए भाग/अंश के कम्प्युटर प्रिंट की मांग करता है तो वह उसे रु.5/- प्रति 1,000 शब्द अथवा उसके अनुपात में भुगतान करने पर उपलब्ध की जाएगी.

ङ. चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन :

नियमावली के विनियम 65, भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 1 नवंबर 2007 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 के साथ पठित दिनांक 23 मई 2011 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.95/ 29.39.001/2010-11, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी 03 सितंबर, 2013 के पत्र संदर्भ फा.सं. 16/83/2013-बीओ.1, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक पर विचार करने संबंधी केन्द्र सरकार द्वारा गठित मानदंडों संबंधी दिनांक 25 मार्च, 2015 के पत्र (भारत सरकार के दिशानिर्देश) एवं विभिन्न अधिनियमों, दिशानिर्देशों, निर्देशों के लागू प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक के रूप में चयन हेतु उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि:-

क) वह शेरधारक है तथा शुक्रवार दिनांक 29 मई, 2015 जोकि चुनाव में सहभागिता की विशिष्ट तारीख निश्चित की गई है, को उसके पास बैंक के 100 (एक सौ) से अधिक शेर हैं तथा बैठक की तारीख तक, तत्पश्चात यदि वह चुना जाता/जाती है तो उसका कार्यकाल समाप्त होने तक वह न्यूनतम 100 शेर धारित करता/करती है.

ख) शनिवार, दिनांक 13 जून, 2015 जो कि नामांकन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख है को वह अधिनियम/योजना/विनियम/भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाओं/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत निदेशक के रूप में अयोग्य नहीं माना जाता है.

ग) अधिनियम के अंतर्गत निदेशक का चयन करने के लिए पात्र कम से कम एक सौ शेरधारकों या उनके द्वारा विधिवत गठित अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन, बशर्ते कि एक कंपनी के रूप में शेरधारकों द्वारा नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए संकल्प से किया जा सकता है, और इस संकल्प की सत्य प्रति के रूप में बैठक, जिसमें कि यह पारित हुआ हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रति महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 को प्रेषित की जाएगी और ऐसी प्रति को इस प्रकार की कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा.

घ) शेरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा वैध नामांकन पत्रों के साथ उम्मीदवार का घोषणापत्र जिसका नमूना उपलब्ध किया गया है जो कि उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश, दंडाधिकारी, एग्योरेन्स के रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसमें वह घोषणा करेगा/करेगी कि उसने नामांकन स्वीकार किया है तथा चुनाव हेतु खड़ा होने के लिए इच्छुक है तथा उसे अधिनियम अथवा

विनियामक अधिनियम अथवा योजना अथवा विनियमों अथवा भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के अधीन निदेशक के रूप में अयोग्य करार नहीं दिया गया है. साथ ही, उसे अपने वैयक्तिक ब्यौरे (बायो डाटा) हस्ताक्षर करके यह पुष्टि करनी होगी कि उसकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार यह ब्यौरे यथार्थपूर्ण हैं तथा वह यह वचन भी देगा/देगी कि यदि घोषणा करने के उपरांत इनमें कुछ परिवर्तन होता है तो वह संगत जानकारी यथाशीघ्र बैंक को सूचित करेगा/करेगी.

- इ) नामांकनपत्र एवं घोषणापत्र विनियम में निर्धारित किए गए प्रारूप के अनुसार हैं जो कि इस नोटिस के साथ संलग्न किए गए हैं (यह प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर भी उपलब्ध हैं.)
- च) वह बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 अथवा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अर्जन) अधिनियम, 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 अथवा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2004 (जिसे अब से विनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1 नवंबर 2007 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 के एवं दिनांक 23 मई 2011 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.95/ 29.39.001/2010-11 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों हेतु गैर सरकारी निदेशकों के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च, 2015 में जारी मानदंडों तथा निदेशक के रूप में चयन हेतु समय-समय पर जारी अन्य सभी निर्देशों के अधीन उसे अयोग्य करार नहीं दिया गया है.

च. नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण

- शेयरधारकों के बीच से बैंक के निदेशक के चुनाव हेतु इच्छुक प्रत्याशी, केन्द्र सरकार से भिन्न, को इस नोटिस के साथ संलग्न प्रपत्र में निम्नलिखित दस्तावेज़, बंद लिफाफे में, "शेयरधारकों के निदेशक हेतु" - वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) 2015" चिह्नित करते हुए महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 को वार्षिक साधारण सभा के लिए नियत तारीख से चौदह दिनों के पूर्व यथा बैंक के कामकाज के समाप्ति के समय दोपहर 2.00 बजे से पूर्व शनिवार, दिनांक 13 जून, 2015 तक प्रस्तुत करना चाहिए.
- क) पूर्णतः भरा हुआ घोषणापत्र;
- ख) चुनाव में सहभागी होने के लिए हकदार न्यूनतम सौ शेयरधारकों से नामांकन;
- ग) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रपत्र में वैयक्तिक जानकारी, घोषणापत्र एवं वचनपत्र (पीडीयू फॉर्म) सहित अन्य संबद्ध दस्तावेज़ प्रमाणपत्र जैसे कि बायो-डाटा, शैक्षणिक अर्हताओं संबंधी प्रमाणपत्र, अनुभव इत्यादि की साक्ष्यांकित प्रतियां, उक्त नामांकनपत्र एवं अन्य दस्तावेज़ सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए अन्यथा नामांकन रद्द किया जा सकता है.

छ. नामांकनों की जांच और निदेशकों का निर्वाचन :

- क) नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित अंतिम दिनांक के अगले दिन दिनांक 15 जून 2015 को नामांकन की जांच की जाएगी. यदि नामांकन अवैध पाए जाते हैं तो कारणों को दर्ज करते हुए उन्हें निरस्त किया जाएगा.
- ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 23.05.2011 और 01.11.2007 के उपयुक्त और उचित विषय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भी निदेशक मंडल की नामांकन समिति नामांकनों की संवीक्षा करेगी. सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर विचार करने के लिए भारत सरकार की सूचना की शर्तों के अनुसार उम्मीदवारों की उपयुक्त व उचित स्थिति का निर्धारण करते समय नामांकन समिति, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च 2015 को जारी केंद्र सरकार के निर्धारित मानदंडों को भी ध्यान में रखेगी.
- ग) निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान के लिए केवल एक ही वैध नामांकन होता है तो इस प्रकार नामित उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम, पता इस प्रकार के चुने गए उम्मीदवार के रूप में प्रकाशित किया जाएगा. इस प्रकार की घटना होने पर या कोई भी नामांकन वैध न पाए जाने पर कार्यसूची की मद क्र. 4 के अनुसार वार्षिक साधारण आमसभा नहीं बुलाई जाएगी. नया निर्वाचित निदेशक चुनाव की मानी गई दिनांक के अगले दिन कार्यग्रहण करेगा.
- घ) यदि वैध नामांकन एक से अधिक है तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव कराए जाएंगे तथा ई-मतदान और बैठक के समय हुए मतदान के जोड़ के अनुसार अधिकतम मत पाने वाला उम्मीदवार निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम निर्वाचित घोषित किया जाएगा तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा.

ज. उम्मीदवारी को वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह 25 जून 2015 को दोपहर 2.00 बजे से पूर्व महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501 शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को पत्र भेजकर या फैक्स क्रमांक 020-25533246 पर फैक्स भेजकर या boardsec@mahabank.co.in पर स्कैन कॉपी या हस्ताक्षरित पत्र भेजकर ऐसा कर सकता है.

झ. विवाद

यदि कोई विवाद है तो उसका निराकरण यथा संशोधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठक) विनियम 2004 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा.


ञ. उतारा

शेयर धारकों के लाभार्थ लागू अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचना / दिशानिर्देशों के संबंधित भाग का उतारा बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर प्रकाशित किया जाएगा. चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयर धारक इसको डाउनलोड कर सकते हैं या कंपनी सचिव को लिखकर इसकी प्रति हासिल कर सकते हैं.

ट. निदेशकों का हित

बैंक के निदेशक को उनकी शेयर धारिता की सीमा तक और अपना नामांकन फाइल करने वाले निदेशकों को कार्यवाही की उपर्युक्त मद से संबंधित या उसमें हित रखने वाला माना जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार



(एस. मुहनोत)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक : 14 मई 2015
स्थान : पुणे

Bank of Maharashtra

Head Office: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune-411005

Notice

Notice is hereby given that the **Twelfth Annual General Meeting** of the Shareholders of **Bank of Maharashtra** will be held on **Monday, the 29th June 2015 at 10.30 A.M** at **Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005** to transact the following:

ORDINARY BUSINESS:

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2015, Profit and Loss Account for the year ended on that date, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2

To declare dividend on Equity Shares for the year 2014-15.

SPECIAL BUSINESS:

Item No. 3

To raise capital through FPO/Rights/QIP etc.

TO CONSIDER AND IF THOUGHT FIT, PASS, WITH OR WITHOUT MODIFICATION/S, THE FOLLOWING RESOLUTION AS A SPECIAL RESOLUTION:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations), as amended up to date / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**") which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document /prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of Rs.10 each, aggregating to not more than Rs.800 crore (Rupees Eight Hundred Crore only) being within the ceiling of the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the shareholders, employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies- private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Institutional Investors ("**FIIs**"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be either by way of public issue, rights issue, Qualified Institutional Placements (QIPs) or in combination thereof with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("**ICDR Regulations**") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and / or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, create, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement, as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time.

RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement (QIP) pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.
- b) the Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.

RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 as amended and shall rank in all respects *paripassu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deem fit.

RESOLVED FURTHER THAT such of these equity shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorisation to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or to the Executive Director/(s) or such other officer of the Bank or a committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”


Item No. 4

To elect ONE Director from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 (hereinafter referred to as “The Act”) read with The Banking Regulation Act, 1949 (here in after referred as “the Regulation Act”), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as “The Scheme”) and the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 (hereinafter referred to as “The Regulations”) made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification Nos. DBOD No. BC No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated November 1st, 2007 read with No.DBOD.No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23rd, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as “RBI Notification”) and Notification No. F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013 of Government of India read with Criteria laid down by Government for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks on March 25, 2015 (hereinafter referred as “GOI Guidelines”) and AFTER ELECTION to consider and if thought fit, to pass, with or without modification/s, the following as an **Ordinary Resolution**:

“RESOLVED THAT _____ elected as Director from amongst shareholders, other than the Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with relevant Scheme, Regulations and Notification made thereunder, Reserve Bank of India Notification and Government of India Notification, be and is hereby appointed as the Director of the Bank to assume office from the date following the date on which he/she is deemed to be elected/elected and shall hold the office for a term of three years from the date of his/her assumption of office as Director.”

By order of the Board of Directors

Date: 14thMay, 2015
Place: Pune


(S. Muhnot)
Chairman & Managing Director

NOTES:

1. Explanatory statement:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business at item No. 3 and 4 at the meeting is annexed hereto.

2. Appointment of Proxy:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. As per Regulation 70(vi) of The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed to the Notice.

The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office of Bank of Maharashtra, situated at 'Lokmangal' 1501, Shivajinagar, Pune; 411005, not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on **Wednesday, 24th June 2015** together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. Appointment of Authorised Representative:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on **Wednesday, 24th June 2015**.

4. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank**.

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Regulations, each shareholder, other than Central Government, who has been registered as a shareholder on the **Specified Date i.e. Friday, 29th May, 2015 (for election of shareholders) and Cut-Off Date i.e. Monday, 22nd June, 2015 (for other business)**, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

5. Attendance Slip-Cum Entry Pass Cum Ballot Paper Pass (The Attendance Slip):

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this Notice. Shareholders have an option to cast their votes by using e-voting platform. Those who do not exercise e-voting facility can cast their vote at the poll to be conducted at the venue of the meeting on the date of the AGM. Such Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The portion of Ballot Paper Pass/ Entry Pass shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

6. Book Closure:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Tuesday, 23rd June, 2015 to Monday 29th June, 2015** (both days inclusive) for the purpose of 12th Annual General Meeting and for payment of dividend, if any, for the year 2014-15.

7. Payment of Dividend:

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 14th May 2015 has recommended dividend @ Rs. 0.80 per equity share of Rs.10 /- each fully paid up, for the financial year ended 31st March 2015. Dividend as recommended by the Board of Directors and if approved at the 12th Annual General Meeting will be paid as under:

- a) To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of the close of the business hours on **22nd June 2015**.
- b) To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank / Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) on **29th June 2015**.
- c) The dividend will be distributed to the eligible shareholders by **08th July 2015**.

8. Change of Address / Dividend Mandate:

- a) The Bank for payment of dividend will use the details of Bank Account registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant so as to get updated before the commencement of the Book closure. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot

act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Shareholders.

- b) Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- c) Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- d) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/D'mat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

9. Consolidation of Folios:

The shareholders holding shares in physical form in identical order of names under more than one folio/account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

10. Dematerialization of Physical Holdings:

The Shareholders who are holding shares in physical mode may convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their Demat account.

11. Lodgments for Transfers:

Share Certificate/s along with transfer deed/s should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent. **The Bank has decided to change the existing Registrar and Share Transfer Agent and the effective date of the change to the new RTA will be publicly notified.** The addresses of both the entities are given here below. Shareholders are requested to take note of the same while communicating with the RTA.

RTA Existing	RTA Proposed
MCS Limited,	MCS Share and Transfer Agent Limited
Unit: Bank of Maharashtra, Office No.21/22, Ground Floor, KashiramJamnadas Bldg., 5, P.D' Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E) , Mumbai-400 009	Unit : Bank of Maharashtra Office No.002, Ground Floor, KashiramJamnadas Bldg., 5, P D'Mello Road, Masjid (E) Mumbai: 400 009
Tel No: 022-2372 6253-56	Tel No: 022-40206020/21/22/23/24
Fax: 022-2372 6252	Fax: 022-40206021
Email-uday_mcs@yahoo.in	Email-mcssta.mumbai@gmail.com

12. Recording of change of status

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Registrar & Transfer Agent of the Bank of:

- a. The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.
- b. The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

13. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any:

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, (which has come into force from 16.10.2006), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956 and thereafter, no claim for payment of dividend shall lie in respect thereof either to the Bank or to IEPF.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed from the financial year 2003-04, 2004-05, 2005-06 and 2006-07 have been transferred to "Investor Education and Protection Fund". The details are displayed on the Bank's web-site 'www.bankofmaharashtra.in'. The dividend for the year 2007-08 remaining unclaimed/unpaid will be transferred to the said fund within 90 days of the date of the ensuing Annual General Meeting.

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years(2007-08 onwards) are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address or at Bank's Investors' Services Department at Pune on the following address :

Bank of Maharashtra,
Investors' Services Department
'Lokmangal', 1501, Shivajinagar
Pune- 411 005
E-mail – investor_services@mahabank.co.in

14. Request to Shareholders:

Please note that copies of the Annual Report 2014-15 in physical form have been dispatched separately using the services of Indian Post to those Shareholders who have not registered their email IDs with the Bank and in soft copy by email to those shareholders who have registered their email ids with the Bank. The Annual Report is also hosted on the website of the Bank, www.bankofmaharashtra.in. The Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and hence members are requested

to bring their copies of the Annual Report at the meeting.

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank at least one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

15. Voting:

a) SPECIFIED-DATE FOR ELECTION:

For the purpose of determining the shareholders entitled to participate in the Election i.e. to **Nominate, Contest and Vote** for the Election of ONE Director representing the shareholders of the Bank, other than the Central Government, **Friday, 29th May 2015** is fixed as Specified Date, as mentioned in the Notice.

b) CUT-OFF DATE FOR E-VOTING AND POLL AT THE AGM

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the shareholders in respect of agenda items No.1, 2 and 3 shall be reckoned as on Monday, 22nd June, 2015.

c) E-VOTING

Pursuant to Clause 35B of Listing Agreement with Stock Exchanges, your Bank is pleased to provide e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice for which Bank has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) as the e-voting service providing agency to provide the e-voting platform. The Bank has appointed Shri Raghavendra J Joshi, of M/s Apte Joshi and Associates, Pune, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. **E-voting is optional**. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in Dematerialized form, as on the **Cut – off Date** (agenda items No. 1, 2 and 3) and **Specified Date** (agenda item for No.4) may cast their vote electronically. As per the Companies (Management and Administration) Amendment Rules 2015, remote e-voting facility shall remain open to all shareholders from **09:00 a.m. on 26th June 2015 till 05:00 p.m. on 28th June 2015 and the e-voting platform will be disabled thereafter.**

I. The process and manner for remote e-voting are as under:

- a) For shareholders whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participants(s), **EVEN (Remote e-voting Event Number), USER ID and PASSWORD/PIN** are sent on their respective e-mail IDs, alongwith the Annual Report and the Notice. Open email and open PDF file viz; **“remote e-voting.pdf”** with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password.
- b) For members whose email IDs are not registered with the Company/Depository Participants(s) or requesting physical copy, initial password is provided as per the following format in a separate communication sent along with this notice:
EVEN (Remote e-voting Event Number) USER ID
PASSWORD/PIN
- c) Follow steps to cast E-vote:
- (i) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>
 - (ii) Click on Shareholder - Login
 - (iii) Put user ID and password as initial password/PIN noted in step (i) above. Click Login.
 - (iv) Password change menu appears. Change the password/PIN with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
 - (v) You need to login again with the new credentials.
 - (vi) Home page of remote e-voting opens. **Click on remote e-voting: Active Voting Cycles.**
 - (vii) Select **“EVEN”** of **“Bank of Maharashtra”**.
 - (viii) Now you are ready for remote e-voting as **Cast Vote page** opens.
For Agenda Items No.1, 2 and 3
 - (ix) On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the **Cut-off Date** (22nd June 2015) will appear.
 - (x) In respect of Agenda items no.1, 2 and 3, you may click on the assent or dissent as the case may be. Cast your vote by selecting appropriate option and click on **“SUBMIT”** and also **“CONFIRM”** when prompted.
For Agenda Items No.4
 - (xi) In respect of Agenda No. 4, those holding shares as on the Specified Date i.e. 29th May 2015, can cast their vote in favour of only ONE candidate, out of the contesting candidates whose names will appear on the screen. Casting vote exceeding ONE candidate shall render your vote as invalid. Cast your vote by selecting appropriate option and click on **“SUBMIT”** and also **“CONFIRM”** when prompted.
 - (xii) Upon confirmation, the message **“Vote cast successfully”** will be displayed.
 - (xiii) Once you **“CONFIRM”** your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- d) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to bomevoting@aptejoshi.com

and a copy to be marked to evoting@nsdl.co.in

- e) If you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.
 - f) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
 - g) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
 - h) The voting rights of members shall be in proportion to their equity shares held in the Bank as on the cut-off date/specified date, as the case may be, as said in 4 above.
 - i) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on Toll free no.: 1800-222-990.
 - j) Any person, who acquires shares of the Bank and becomes shareholder of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 22nd June, 2015, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to Bank/RTA. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following Toll free no.: 1800-222-990.
 - k) The Portal will remain open for e-voting from 9.00 a.m. on Friday, 26th June 2015 to 5.00 p.m. on Sunday 28th June 2015 and will be disabled thereafter.
 - l) Shareholders may visit Bank's website www.bankofmaharashtra.in – Investor Services link on home page for updated e-voting instructions.
- d) **POLL PROCESS AT THE AGM**
The voting on the agenda items including Election shall be done by e-voting as well as by Poll. Those who do not exercise the option of e-voting shall be entitled to participate and vote at the Poll to be conducted at the venue of the AGM on the date of the meeting. Ballot Papers will be issued immediately after the announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting and will continue upto 1.00 p.m. Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the Shareholders / Proxy holders/ Authorized Representatives on surrender of Ballot Paper Pass dispatched along with the Notice or issued at the time of registration.
- e) **SCRUTINIZERS AT POLL**
As already indicated for E-Voting, Shri Raghavendra J Joshi, of M/s Apte Joshi and Associates, Pune, Practicing Company Secretaries shall act as Scrutinizer. He shall also act as Scrutinizer along with another shareholder at the Poll to be conducted at the Meeting.
The Poll on the Election shall be conducted under the supervision of Chief Returning Officer appointed by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.
- f) **RESULTS OF EVOTING AND POLL**
The Results declared in respect of agenda items transacted at the meeting, along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank www.bankofmaharashtra.in and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT

ITEM NO. 3 : RAISING EQUITY CAPITAL

- (i) As per RBI guidelines under Basel III the Bank should maintain a minimum CRAR of 9% of its Risk Weighted Assets, with the additional stipulation, of this minimum Common Equity Capital (CET) should be 5.50%. As per the RBI prescribed phased programme, the banks should provide every year Capital Conservation Buffer (CCB) of 0.625% from March 2016 to March 2019 and the CCB should be in the form CET. For the additional requirement of CCB/CET and to provide necessary capital for the annual business growth, the Bank has assessed a capital requirement of Rs. 800 crore for the year ending 31st March 2016.
- (ii) The Bank had taken up this requirement with Central Government for the necessary capital support. As a backup arrangement, the Bank has also kept other options open like FPO/Rights Issue/QIP/Private Placements to meet this capital requirement. These options will be exercised as per the requirement and based on the prevailing market conditions.
- (iii) The equity capital as above said will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and subject to the relevant guidelines / regulations of SEBI and in the Listing Agreement.
- (iv) The Board therefore in its meeting held on 14th May 2015 has approved to raise an equity capital of Rs. 800.00 crore through the different available options and has recommended the passing of the resolution as mentioned in the notice.
- (v) None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding in the Bank.

ITEM NO. 4: ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR

- (i) As per Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, where the capital issued under clause (c) of sub section 2B of Section 3 is more than sixteen per cent but less than thirty two per cent of the total paid up capital, the Board should have two directors duly elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves.
- (ii) Post issue of the preferential allotment of equity shares to the Government of India and LIC of India, as approved by the Board in its meeting held on 11th July 2014, the capital issued to the public stood at 20.20% of the total paid up capital of the Bank. As per the above guidelines, the Bank is entitled to have two directors, elected from amongst shareholders, other than the Central Government. Against this, the Bank has one Shareholder Director on the Board. Therefore, one vacancy of shareholder director has arisen on the Board of the Bank w.e.f. 11th July 2014.
- (iii) The Board, in its meeting held on 2nd August 2014, has approved to conduct the election to fill in this vacancy of one shareholder director on the Board of the Bank and has recommended the passing of the resolution as mentioned in the notice.
- (iv) The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme /Regulations / Notification /Directions from the Central Government. Upon receipt of nomination of candidature duly filled in all respect, scrutiny of nomination will be completed by the Nomination Committee of the Board.
- (v) Upon scrutiny of all the nominations received, if only **one** valid nomination is found, the sole candidate shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. In such an event or in case no nomination is found valid, the agenda item 4 at the AGM will not be conducted. The newly elected director will assume office on the next day of his/her deemed date of election.
- (vi) If there are more than one valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidate polling the majority of the votes i.e. aggregate of e-voting and Poll at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and also published in newspapers.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20 Section 51	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Substantial Interest ➤ Prohibition of Common Directors ➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors ➤ Applicability of certain sections of Act to a corresponding new Bank.
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA)& Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Restriction on voting rights ➤ No. of directors to be elected by the shareholders ➤ Special knowledge in certain fields ➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Term of office of elected directors ➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➤ Vacation of office of Director ➤ Removal from office of an elected Director ➤ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	➤ Exercise of rights of joint holders ➤ Voting at General Meetings ➤ Directors to be elected at General Meetings ➤ List of Shareholders ➤ Nomination of candidates for election ➤ Scrutiny of nominations ➤ Election disputes ➤ Determination of voting rights ➤ Voting by duly authorized representative ➤ Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of Nationalized Banks
Letter dated 3 rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks issued on March 25, 2015		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks
RBI Master Circular dated 1st July 2014		Granting loans and advances to relatives of Directors

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from The Act, The Regulation Act, The Scheme/ The Regulation as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and GOI Guidelines will be hosted on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of Maharashtra at its Head Office on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. 13th June 2015.

A. PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the Specified Date i.e., on Friday, 29th May 2015 shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders, other than the Central Government.

B. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

A. have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-

- i. agriculture and rural economy
- ii. banking
- iii. co-operation
- iv. economics
- v. finance
- vi. law
- vii. small scale industry
- viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

B. represents the interest of depositors; or

C. represents the interest of farmers, workers and artisans

(a) In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

(b) Further the elected Director should execute the Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(A) In terms of Clause 10 of The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall

be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or
 - c) if he has been convicted by Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or
 - d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and
- (B) If he is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.
- (C) If he is not found to be satisfying the criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks.

C. LIST OF SHAREHOLDERS

As provided in Regulation 64 of The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. CD or such other media) will be available at Investor Services Department, Head Office, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005 from 2nd June 2015 to 13th June 2015 (last date for receipt of nominations) for purchase by Shareholders on a pre-payment of Rs. 25,000/- (Rupees twenty five thousand only) for soft copy on CD and Rs. 1,00,000 (Rs. One Lakh only) for hard copy, by way of demand draft /pay order on a Scheduled Bank in favor of '**Bank of Maharashtra**' payable at Pune. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to "General Manager, Investor Service, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal' 1501, Shivajinagar, Pune: 411005, with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

D. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Head Office of the Bank with the office of the Deputy General Manager, Investor Services, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal' 1501, Shivajinagar, Pune: 411005 on all working days (other than Sundays and Bank Holidays) i.e, Monday to Friday between 10.00 a.m. to 5.00 p.m. and on Saturday between 10.00 a.m. to 2.00 p.m.for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of Rs.5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

E. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46 and 47 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and Letter dated 3rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a NOD in Public Sector Banks issued on March 25, 2015 (GOI Guidelines) and other applicable provisions of various Acts, Guidelines, Directives, nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

- a) He / she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on **Friday 29th May 2015** being the Specified Date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- b) As on Saturday, 13th June 2015 being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Act / Scheme / Regulation / RBI Notifications /GOI Guidelines.
- c) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the General Manager, Investor Services, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal' 1501, Shivajinagar, Pune: 411005 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- d) The valid nominations by the shareholders (Minimum 100) are accompanied by declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed to this Notice (The proforma is also available on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in)

- f) He / She is not disqualified under The Banking Regulation Act, 1949 or The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 (hereinafter referred to as "The Regulations") and RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and Criteria laid down by the Government for Non Official Directors of the Public Sector Banks issued in March 2015 or such other directives as may be issued from time to time, for being elected as a director.

F. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in the formats annexed to this notice, in a sealed envelope, marked "**Nomination for Shareholder Director - AGM 2015**" to the General Manager, Investor Service Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal' 1501, Shivajinagar, Pune: 411005, on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the AGM i.e., on or before closing hours of the Bank at 2.00 p.m., on **Saturday, 13th June, 2015**

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU form) in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.,

The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

G. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

- a) Nominations shall be scrutinized on Monday, 15th June 2015 the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated November 01, 2007 and 23.05.2011 issued by the Reserve Bank of India. In terms of advice of GOI, the Nomination Committee may also keep in mind the Criteria laid down by the Central Government for consideration as a NOD in Public Sector Banks as issued by Ministry of Finance, Government of India on March 25, 2015 while determination of the Fit & Proper Status of Candidates.
- c) If there is only **one** valid nomination for one vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. In such an event or in case no nomination is found valid, the agenda item 4 at the AGM will not be conducted. The newly elected director will assume office on the next day of his/her deemed date of election.
- d) If there are more than one valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidate polling the majority of the votes i.e. aggregate of e-voting and Poll at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and also published in newspapers.

H. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time before 2.00 p.m. on **Thursday, 25th June 2015** by sending a letter addressed to General Manager, Investor Service, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal' 1501, Shivajinagar, Pune: 411005 or sending fax at 020- 25533246 or scanned and signed letter over e-mail at "boardsec@mahabank.co.in"

I. DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, as amended.


J. EXTRACTS

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ Guidelines are posted on Bank's website www.bankofmaharashtra.in for the benefit of the shareholders. Shareholders desirous of contesting election may download the same or may write to the Company Secretary of the Bank to obtain copy thereof.

K. INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By order of the Board of Directors



(S. Muhnot)

Chairman & Managing Director

Date: 14th May, 2015
Place: Pune



बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

नामांकन फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा)

(विनियमावली के विनियम 65 (i) का संदर्भ लें (घ))

प्रति
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
प्रधान कार्यालय
लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005
प्रिय महोदय,

अ.क्र.

निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन

आपके दिनांक 14 मई 2015 के नोटिस के क्रम में, मैं _____ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्णतः प्रदत्त प्रति शेयर
रु.10/- अंकित मूल्य वाले ----- ईक्विटी शेयर का 29 मई 2015 को (चुनाव में सहभागिता के लिए मानी गई विनिर्दिष्ट दिनांक) धारक हूँ और एतद्वारा
श्री/श्रीमती _____ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी
श्री/श्रीमती _____ निवासी _____
_____ जो _____ पते पर
निवास करते हैं को सोमवार दिनांक 29 जून 2015 को पुणे में होने वाली बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक साधारण सभा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों के प्रतिनिधि
निदेशक पद पर चुनाव लड़ने हेतु नामित करता हूँ, जैसा कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 में उपबंध किया गया है।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो क्र. (यदि डी-मैट स्वरूप में नहीं है तो)	
डी.पी.आई.डी. क्र. व ग्राहक/आई.डी. क्र. (यदि डी-मैट स्वरूप में है तो)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियां :

1. निगमित निकाय द्वारा नामांकन किए जाने की दशा में नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा जिस बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत पारित प्रस्ताव की अधिप्रमाणित सत्यप्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए.
2. उम्मीदवार को नामित करने वाले शेयरधारक के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मिलने चाहिए.
3. यदि ऊपर का कोई कॉलम रिक्त छोड़ा जाता है या गलत पाया जाता है तो नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा.



NOMINATION FORM
(By the Shareholder)
(Refer Regulation 65 (i) (d) of the Regulations)

To
The Chairman & Managing Director
Bank of Maharashtra
Head Office,
Lokmangal, 1501, Shivajinagar,
Pune – 411005

SR No.

Dear Sir,

Nomination for Election of a Director

With reference to your Notice dated 14th May 2015, I _____
a shareholder of Bank of Maharashtra, holding _____ equity shares of Rs. 10/- each (fully paid up) as on
Friday, 29th May 2015 (being the Specified Date considered for participating in the election) do hereby nominate
Shri/Smt. _____ son/daughter/wife of Shri/Smt.
_____ residing at _____

_____ for being elected as a Director of Bank of Maharashtra representing the shareholders of the Bank as pro-
vided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Annual General Meeting
of the shareholders of the Bank to be held on Monday 29th June 2015 at Pune.

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No (If not Dematerialised)	
D.P.I.D. No. & Client I. D. No. (If Dematerialised)	
Place	
Date	

Notes:

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed
2. Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with Share Transfer Agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

घोषणा
(उम्मीदवार द्वारा)
(विनियमावली के विनियम 65 का संदर्भ लें)

- मैं, _____
सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नीश्री/श्रीमती _____
निवासी _____, एतद्वारा पुष्टि करता /करती हूँ कि:-
- क. मैं शुक्रवार, दिनांक 29 मई, 2015 को अर्थात् चुनाव में भाग लेने के लिए विनिर्दिष्ट दिनांक को बैंक के 10 रुपए मूल्य वाले ----- इक्विटी शेयरों का धारक हूँ और यदि चुना जाता हूँ तो मेरे कार्यकाल के अंत तक मैं न्यूनतम 100 इक्विटी शेयर रखूंगा/रखूंगी.
- क. मुझे (1) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (2) बैंकिंग (3) सहकारिता (4) अर्थशास्त्र (5) वित्त (6) विधि (7) लघु उद्योग या ----- (भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिमत में जिसका विशेष ज्ञान और व्यवहारिक जानकारी बैंक के लिए उपयोगी होगी) का विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव है और अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3(क) की शर्तों के अनुसार मैं जमाकर्ताओं या किसानों या कामगारों या कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ. इस बात के साक्ष्य स्वरूप मैं संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ.
- ग. मैं क्रमांक ---- से ----- तक का नामांकन स्वीकार करता/करती हूँ.
- घ. मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक का चुनाव लड़ने का/की इच्छुक हूँ.
- ड. मुझे बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और मिटींग) विनियम 2004, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित अधिसूचनाएं और भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक बैंकों में गैर अधिकारी निदेशकों के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक में निदेशक बनने के लिए अपात्र नहीं बनाया गया है.
- च. मैं न तो किसी लाभ के पद पर कार्यरत हूँ और न ही किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 उप धारा 1 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक का/की कर्मचारी हूँ.
मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि:
- छ. मुझे किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मैजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है.
- ज. मैं किसी भी किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, लीजिंग और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों तथा सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य तथा स्टॉक ब्रोकर से संबंधित नहीं हूँ.
- झ. मैं किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान या भारतीय रिज़र्व बैंक या बीमा कंपनी में निदेशक नहीं हूँ.
- ञ. मैं गत अवधि में भी किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था या भारतीय रिज़र्व बैंक या बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में किसी भी वर्ग में दो टर्म या छह वर्षों तक दोनों में से जो भी अधिक हो सतत आधार पर या बीच-बीच में निदेशक नहीं रहा/रही हूँ.
- ट. मैं अपना व्यक्तिगत ब्यौरा संलग्न कर रहा/रही हूँ जो कि मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है.
- ठ. मैं इस घोषणा के बाद यहां दी गई जानकारी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी में यदि परिवर्तन होता है तो उसे बैंक को यथाशीघ्र अवगत कराने का तथा बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचित होने पर प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता/देती हूँ.

नाम			
हस्ताक्षर			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो क्र. (यदि डी-मैट स्वरूप में नहीं है तो)		डी.पी.आई.डी. क्र. (यदि डी-मैट स्वरूप में है तो)	
		ग्राहक/आई.डी. क्र.	
स्थान			
दिनांक			

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए.

नाम : _____

तिथि : _____

मुहर के साथ
हस्ताक्षर

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार, एग्योरेंस के रजिस्ट्रार अथवा सब रजिस्ट्रार और राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी या ----- (बैंक ऑफ महाराष्ट्र या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक) के अधिकारी की मुहर के साथ हस्ताक्षर

★ जो भी लागू है उसे चिन्हित करें

**DECLARATION
(BY THE CANDIDATE)
(Refer Regulation 65 of the Regulations)**

I, _____ son/daughter/wife of
Shri/Smt. _____, a resident of _____
_____ hereby confirm that

- a. I am a shareholder holding _____ equity shares of Rs.10/- each of the Bank as on Friday, **29th May, 2015**, i.e., the Specified Date for participating in the elections and will hold a minimum of 100 equity shares till the end of my tenure, if elected;
- b. I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or _____ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors, **or** farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials;
- c. I accept the nominations numbered from _____ to _____;
- d. I am willing to contest for the election of Director of Bank of Maharashtra;
- e. I am not disqualified from being a director of The Bank under the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, relevant notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks;
- f. I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under subsection(1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;

I further declare that:

- g. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court;
- h. I am not connected with any hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers;
- i. I am not a Director in any other Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company;
- j. I have not been a Director on the Board of any Bank, or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer whether intermittently or continuously;
- k. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief are true and complete in all respects; and
- l. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank

Name			
Signature			
No. of Shares			
Regd. Folio No (If not Dematerialised)		DP ID No. (if Dematerialised)	
		Client ID No	
Place			
Date			

The above declaration was signed before me.

Name : _____

Date : _____

Signature with
Seal

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or _____ (Bank of Maharashtra or any Nationalised Bank.)

* Tick whichever is applicable

(भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पीडीयू फॉर्म)
(PDU FORM PRESCRIBED BY RBI)

व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनपत्र
Personal Information, Declaration and Undertaking

बैंक का नाम : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

Name of the Bank: Bank of Maharashtra

यहां पासपोर्ट आकार का फोटो
चिपकाएं
Affix passport size
photo here

..... 2015 की स्थिति के अनुसार उचित अनुलग्नक सहित उम्मीदवार द्वारा घोषणा और वचनपत्र
Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on2015

I.	उम्मीदवार के व्यक्तिगत विवरण Personal details of the candidate	
क. a.	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) Full Name (in capital letters)	
ख. b.	पिता का नाम (पूरा) Fathers Name (in Full)	
ग. c.	जन्मतिथि Date of Birth	
घ. d.	शैक्षणिक योग्यता Educational Qualifications	
	शैक्षणिक / अकादमिक (कृपया जानकारी के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां जोड़ें) Educational /academic (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
	शैक्षणिक / व्यावसायिक (कृपया जानकारी के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां जोड़ें) Educational/professional (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
इ. e.	संबंधित पृष्ठभूमि व अनुभव (वर्षों की संख्या दें) (बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3ए)के अनुसार यथा आवश्यक) Relevant Background and Experience (in number of years) (As required under section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970) (कृपया बैंक के निदेशक के रूप में सुसंगत अपने अनुभव का ब्यौरा दें) (Please indicate your experience relevant to the Directorship of the Bank)	
च. f.	स्थायी पता Permanent Address	
छ. g.	वर्तमान पता (पत्राचार हेतु) Present Address (For correspondence)	
ज. h.	ई-मेल आई डी E-mail ID	
झ. i.	टेलीफोन क्रमांक (लैंडलाइन) Telephone Number (Landline)	
	टेलीफोन क्रमांक (मोबाईल) Telephone Number (Mobile)	
ञ. j.	1. आय कर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता क्रमांक (पैन) (प्रति जोड़े). 1. Permanent Account Number under the Income Tax Act (please enclose a copy). 2. आय कर सर्कल/डिवीजन जहां व्यक्तिगत कर विवरणी फाईल की जाती है वहां का नाम व पता. 2. Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	

ट. क.	संबंधित ज्ञान व अनुभव (बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3ए) के अंतर्गत अपेक्षित. Relevant Knowledge and Experience (As required under Section 9(3A) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.	
ठ. I.	अन्य कोई जानकारी जो बैंक के निदेशक पद से संबंधित हो तथा उम्मीदवार देना चाहता हो. Any other information relevant to the Directorship of the Bank	
II.	उम्मीदवार के सुसंगत संबंध Relevant Relationships of the Candidate	
क.	उम्मीदवार के रिश्तेदारों की सूची, यदि हो तो, जो बैंक से किसी भी रूप में संबद्ध है (कृपया कंपनी (परिभाषाओं के विवरण विनिर्दिष्ट करना) विनियम 2014 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1-ए) के विनियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(77) का संदर्भ लें. a. List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of The Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 [Section 6 and Sch 1A of Companies Act 1956]	
ख.	इकाईयों की सूची, यदि कोई हो, जिसमें उनके हित निहित समझे जाएं (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299(3)(क) व धारा 300 और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(49) और धारा 184 का संदर्भ लें). b. List of entities, if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 2(49) and Section 184 of the Companies Act, 2013) [Section 299(3)(a) and Section 300 of The Companies Act, 1956]	
ग.	प्रस्तावित व विद्यमान इकाईयों की ऐसी सूची, जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) के अर्थ के अनुसार उम्मीदवार का हित समझा माना गया है. c. List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of The Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
घ.	उस बैंक का नाम जिसमें वह निदेशक मंडल का सदस्य रहा है / रही है. (कृपया निदेशक मंडल में रहने की अवधि का उल्लेख करें). d. Name of Bank in which he/she is or has been a member of the Board (giving details of period during which such office was held)	
ङ.	II और (ग) में सूचीबद्ध उम्मीदवार और/ अथवा इकाईयों द्वारा इस समय उपयोग की जा रही बैंक से ली गई निधि और गैर निधि आधारित सुविधाएं (यदि कुछ हों) का विवरण. e. Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by the entities listed at II (b) and (c) above from the bank.	
च.	ऐसे मामले, यदि कुछ हों, जहां उक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध उम्मीदवार या इकाईयां, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अथवा अन्य किसी बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मामले में चूककर्ता हो या पूर्व में चूककर्ता रहे हों. f. Cases, if any, where the candidate or entities listed at II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank of Maharashtra or any other bank.	
III.	व्यावसायिक उपलब्धियों का अभिलेख Records of Professional Achievements	
क.	संबद्ध व्यावसायिक उपलब्धियां a. Professional achievements relevant	
IV.	उम्मीदवार के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो तो Proceedings, if any, against the Candidate	

क.	यदि उम्मीदवार व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है, और यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है या आरंभ हुई है या पूर्व में दंड दिया गया है या उसे किसी समय किसी व्यवसाय/व्यापार में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया हो, तो उसका ब्यौरा दें. If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
ख. b.	उम्मीदवार तथा उक्त मद II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध इकाइयों के विरुद्ध आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन हेतु लंबित या प्रारंभ या पूर्व में अपराधी ठहराए जाने के विवरण यदि कोई हो. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations.	
ग. d.	उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित, चलाए गए या दोष सिद्ध हुए आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा. Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate	
घ.	राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 10 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में परिकल्पित की गई कोई भी अयोग्यता क्या उम्मीदवार पर लागू है ? Whether the candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, [Section 274 of the Companies Act, 1956] read with Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	
ङ. e.	क्या उक्त II (ख) और (ग) की कोई भी इकाई या उम्मीदवार को किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के निर्देशों पर किसी जांच के अंतर्गत रखा गया है ? Has the candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
च. f.	क्या उम्मीदवार किसी भी समय सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आय कर/विदेशी मुद्रा विनिमय/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधिक आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है; यदि ऐसा है तो विवरण दें. Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/excise/income tax /foreign exchange/other revenue authorities; if so give particulars.	
छ. g.	क्या उम्मीदवार/निदेशक ने किसी भी समय किसी नियंत्रक यथा सेबी, आईआरडीए, डीसीए, भारिबैंक, एमसीए, एफईएमए, सिबिल आदि से प्रतिकूल नोटिस प्राप्त किया है ? (यद्यपि उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नियंत्रक द्वारा दिए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख किया जाए जो कि बाद में वापस ले लिए गए/पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए हो, तथापि ऐसी स्थिति में इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा जबकि वापस लेना / समाप्त करना किसी तकनीकी कारण यथा परिसीमन या न्यायक्षेत्र के अभाव आदि से हुआ हो और मैरिट के आधार पर न हो. यदि नियंत्रक के आदेश पर अस्थायी रोक लगी है और अपील/न्यायालय की कार्यवाहियां प्रलंबित है तो इसका भी उल्लेख किया जाए). Whether the candidate had at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, MCA, FEMA, CIBIL etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	

V.	<p>मद क्र. I से IV के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण / जानकारी तथा पद के लिए 'उपयुक्त और उचित' स्थिति के निर्धारण हेतु अन्य संबंधित जानकारी.</p> <p>Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging 'fit and proper' status.</p>	
----	--	--

वचनपत्र

UNDERTAKING

मैं, सुपुत्र/ सुपुत्री / पत्नी..... पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है. बैंक के श्रेयरधारक निदेशक के रूप में अपने निर्वाचन के उपरांत उपर दी गई जानकारी से संबंधित सभी घटनाओं की जानकारी बैंक को यथाशीघ्र देने का मैं वचन देता/देती हूँ.

I Son/ Daughter / Wife of confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

मैं बैंक के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अपेक्षित विधिक विलेख के निष्पादन का भी वचन देता/देती हूँ.

I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the bank.

स्थान Place :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक Date :

Signature of Candidate

संलग्नक Enclosures::

1. जहां कहीं भी स्थान पर्याप्त न हो वहां कृपया कालानुक्रमिक रूप से और समुचित प्रतिसंदर्भ सहित जानकारी अनुबंध के रूप में संलग्न करें.
1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.
2. प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंध सहित) पर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है.
2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

नामांकन समिति के अवलोकन / अभ्युक्तियां Remarks /Observations of the Nomination Committee of the Bank:

समिति के सदस्य के हस्ताक्षर Committee Member	समिति के सदस्य के हस्ताक्षर Committee Member	समिति के सदस्य के हस्ताक्षर Committee Member
स्थान Place : दिनांक Date :	स्थान Place : दिनांक Date :	स्थान Place : दिनांक Date :



बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

उपस्थिति पर्ची - सह-प्रवेश पत्र - सह-मतपत्र पास

दिनांक 29 जून 2015 को प्रातः 10.30 बजे, अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005 में

12वीं वार्षिक साधारण सभा

उपस्थिति पर्ची

(स्थल पर प्रवेश के समय सौंपा जाना है)

एतद् द्वारा मैं बैंक की 12वीं वार्षिक साधारण बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ.

स्पष्ट अक्षरों में नाम (सदस्य//प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी व ग्राहक आई डी क्र.	धारित शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		



यहां से काटें



बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

प्रवेश पर्ची

(संपूर्ण बैठक के दौरान साथ रखे जाने हेतु)

स्पष्ट अक्षरों में नाम (सदस्य//प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी व ग्राहक आई डी क्र.	धारित शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

शेयरधारकों / प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची को हॉल में प्रवेश करने के लिए बैंक के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत हस्ताक्षर कर प्रवेश पर्ची के साथ प्रस्तुत करें. तथापि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा. किसी भी स्थिति में बैठक के प्रवेश स्थल पर उपस्थिति पर्ची की अनुलिपि जारी नहीं की जाएगी.



यहां से काटें



बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

मतपत्र पास

(मतदान काउंटर पर मतपत्र प्राप्त करने के लिए वापस करें)

स्पष्ट अक्षरों में नाम (सदस्य//प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी व ग्राहक आई डी क्र.	धारित शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		



BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.)

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS

Twelfth Annual General Meeting, Monday, 29th June 2015 at 10.30 a.m.

At Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005.

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of registration of attendance)

I hereby record my presence at the Twelfth Annual General Meeting of the Bank.

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	Number of Shares held
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		



cut here



BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.)

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	Number of Shares held
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The Ballot Paper Pass portion shall be surrendered to obtain Ballot Paper. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued



cut here



BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.)

BALLOT PAPER PASS

(To be surrendered at the Polling Counters to obtain Ballot Paper)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	Number of Shares held
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		



बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारकों द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो संख्या	डी.पी.आई.डी. क्र.
(यदि डी-मैट स्वरूप में नहीं है)	ग्राहक आई. डी. क्र.
	(यदि डी-मैट स्वरूप में है)

मैं/हम ----- निवासी -----

----- जिला ----- राज्य -----

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती -----

निवासी ----- जिला ----- राज्य ----- को, अथवा इनके न होने पर, श्री/श्रीमती

----- निवासी ----- जिला -----

राज्य ----- को सोमवार 29 जून 2015 को प्रातः 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005 में होने वाली बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वार्षिक साधारण बैठक में या उसके स्थगित होने पर होने वाली बैठक में अपनी/ हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/ करती हूँ.

दिनांक ----- 2015 को हस्ताक्षरित

(प्रॉक्सी के हस्ताक्षर)

(प्रथम शेयरधारक/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर)

₹ 1/- का
राजस्व टिकट
लगाएं

नाम:-----

पता:-----

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने व उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि, -
 - वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हो,
 - संयुक्त धारकों के मामले में पहले नामित शेयरधारक द्वारा या विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हो.
 - निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हो. यह भी नोट किया जाए कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त करने के प्रस्ताव की एक प्रति जो कि बैठक के अध्यक्ष के द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित हो संलग्न की जाए.
- प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए, यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो उस पर उसके अंगूठे का निशान लगाया जाना चाहिए और उसका अधिप्रमाणन किसी न्यायाधीश या मॅजिस्ट्रेट या एश्वोरेंस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए.
- प्रॉक्सी फॉर्म
 - मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अधीन हस्ताक्षर किया गया हो या
 - किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मॅजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकार की एक प्रति के साथ वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात बुधवार दिनांक 24 जून 2015 के समापन समय से पहले अर्थात दोपहर 5.00 बजे तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005 को प्रस्तुत किया जाए.
- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक की उस पर विधिवत स्टैम्प न लगाया गया हो.
- बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी लिखत अपरिवर्तनीय व अंतिम होगा.
- यदि कोई प्रॉक्सी लिखत दो ग्राहियों के पक्ष में दिया गया हो तो एक से अधिक फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता.
- प्रॉक्सी लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को उस वार्षिक साधारण बैठक में स्वयं मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसा लिखत संबंधित है.
- ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप नियुक्त नहीं किया जा सकता जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकारी या कर्मचारी हो.
- नियुक्त किए गए किसी भी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा.



BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.)

FORM B PROXY FORM

As per Regulation 70(iii) of The Regulations
(To be filled in and signed by the shareholders)

Regd .Folio No.	DP ID No.	
	Client ID No.	
If not Dematerialised		If Dematerialised

I/We, resident(s) of in the district of in the State of being a shareholder /s of Bank of Maharashtra, hereby appoint Shri / Smt. resident of in the district of in the State of OR failing him/her, Shri/Smt. resident of in the district of in the State of as my / our proxy to vote for me / us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Maharashtra to be held on Monday, 29th June, 2015 at 10.30 a.m. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005 and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2015.

Name.....

Address.....

.....

Please
affix ₹ 1/-
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

(Signature of the first named/sole shareholder)

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM:

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a) In the case of an individual shareholder, it is signed by the shareholder or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - b) In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - c) In the case of a body corporate, signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of resolution appointing him/her as a duly authorized representative /power to appoint a Proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.
3. The Proxy together with
 - a) The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - b) A copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra with the General Manager, Investor Services, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005, not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of 05.00 P.M on Wednesday , the 24th June 2015
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favor of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.
9. The Proxy appointed will not have any right to speak at the Meeting.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

प्रति,

एमसीएस लिमिटेड

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

आफिस क्रमांक 21/22 ग्राउण्ड फ्लोर काशीराम जमनादास बिल्डिंग 5,

पी.डिमेलो रोड (घाडियाल गोडी) मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400 009

फोन: (022) 2372 6253 56 फैक्स : (022) 2372 6252

प्रिय मोदय,

विषय : बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ईक्विटी शेयर्स - नैशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा जिन केंद्रों पर उपलब्ध है वहां इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने का विकल्प

मेरे/हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ईक्विटी शेयर्स हैं।

मैं/हम नैशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा के माध्यम से मेरे/हमारे लाभांश का भुगतान करने का अनुरोध करता हूँ/करते हैं। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लाभांश मेरे/हमारे खाते में जमा किया जाए।

1. प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम	
2. रजिस्टर्ड फोलिओ क्रमांक	
3. बैंक खाते का विवरण	
क. बैंक का नाम	
ख. शाखा का नाम	
ग. शाखा का पता	
घ. टेलीफोन क्रमांक और फैक्स क्रमांक	
ड बैंक द्वारा जारी माईकर चेक पर अंकित बैंक और शाखा का 9 अंकों वाला माईकर कूट क्रमांक	
च. खाते का प्रकार (बचत/चालू/नकद ऋण, कूट क्रमांक 10/11/13 सहित)	
छ. खाता क्रमांक (जैसा चेक बुक पर अंकित है)	

(उक्त विवरणों के सत्यापन के लिए कृपया अपना कोरा चेक या अपने कोरे चेक की या आपके खाता पासबुक के मुखपृष्ठ की फोटो कॉपी संलग्न करें)

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है। यदि कोई व्यवहार असत्य या अपूर्ण जानकारी के कारण विलंबित या प्रभावित होता है तो मैं / हम बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगे। मैं / हमने समझ लिया है कि बैंक के नियंत्रण के बार अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण यदि बैंक एनईसीएस के माध्यम से लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो बैंक के पास मुझे / हमें देय लाभांश भौतिक रूप से लाभांश वारंट के रूप में भेजने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

दिनांक :

(प्रथम / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर)

1. यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक (डीमेट) प्रारूप में शेयर उपलब्ध हैं तो कृपया अपने बैंक का विवरण सीधे डिपॉजिटरी सहभागी को उपलब्ध कराएं।
2. नैशनल इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) लाभांश के भुगतान की केन्द्रीय प्रक्रिया को सरल बनाता है। हम सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे सीबीएस बैंक खाता क्रमांक के साथ अद्यतन के लिए एनईसीएस अधिदेश भेजें। जिन शेयरधारकों के पास शेयर भौतिक रूप में रखे हैं वे विधिवत भरे हुए प्रारूप को रजिस्ट्रार व शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए) को भेज दें और जिन शेयरधारकों के पास डीमेट रूप में शेयर हैं उन्हें अपना अधिदेश संबंधित डिपॉजिटरी (डीपी) को भेजना चाहिए।
3. शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए) को बदलने के मामले में, कृपया वार्षिक साधारण बैठक की नोटिस के अनुच्छेद क्र. 11 का संदर्भ लें।



BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.)

To,

MCS Limited

Unit: Bank of Maharashtra

Office No.21/22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg.,5, P.D. Mello Road,

(GhadiyalGodi), Masjid (E) Mumbai-400 009.

Phone (022)23726253 Fax (022)23726252

Dear Sir,

Re: Equity Shares of Bank of Maharashtra - option to receive dividend through National Electronic Clearing Service (NECS) facility.

I / We hold equity shares of Bank of Maharashtra in **physical form**.

I / We request you to arrange for payment of my / our dividend through NECS facility and credit the same to my / our account as per details given below:

1. First / Sole Share holder's name	
2. Registered Folio No.	
3. Particulars of Bank Account	
a. Bank Name	
b. Branch Name	
c. Address of the Branch	
d. Telephone number and Fax number	
9 - digit MICR code number of the Bank and Branch as appearing on the MICR Cheques issued by the Bank	
e. Account type (Savings / Current / Cash Credit with code 10/11/13)	
f. Account Number as appearing on the Cheque Book*	
g. IFSC code of the Bank Branch	

(*Please attach a cancelled blank cheque or photocopy thereof or front page of your savings bank passbook issued by the Bank for verification of the above details).

I / We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If any transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I / We would not hold the Bank responsible. I / We understand that the Bank also reserves the right to send the dividend payable to me by a physical dividend warrant on account of unforeseen circumstances beyond the control of the Bank that may affect the payment of dividend through NECS.

Yours faithfully,

Date

(Name and signature of First / Sole Shareholder)

Notes:

1. In case you hold shares in electronic (Demat) form, kindly give the Bank details directly to your Depository participant.
2. National Electronic Clearing Services (NECS) facilitates centralized processing of dividend payment. We, request all the shareholders to send NECS mandate with CBS Bank account number for updation. The Shareholders holding shares in physical form are required to send the duly filled in form to Registrar and Share Transfer Agent (RTA) and Shareholders holding shares in DEMAT FORM are required to send the Mandate to their respective Depository Participant (DP).
3. Regarding the matter of changing of RTA, please refer to para no. 11 of the notice of AGM.



स्पीड स्पोट / रजि. पोस्ट
Speed Post / Regd. Psot

सेवा में,
To



सुपुर्द न होने पर कृपया लौटाएं:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

निवेशक सेवाएं विभाग

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर,

पुणे - 411 005

If undelivered please return to :

Bank of Maharashtra

Investors Services Department

Head Office : 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar,

Pune - 411 005.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक